और उनमें से कितने विद्यार्थियों को छात्रावास में जगह मिली हुई है ; और

(ख) 1982–83, 1983–84 और 1984–85 के वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कुल कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई तथा उसमें छात्रावास निर्माण के लिए कितनी राशि दी गयी थी और इस सम्बंध में खर्च का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री के० सी० पन्त) : (क) विश्वविद्यालय के कालेजों द्वारा सभी अवर-स्नातक कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 1984–85 के दौरान, इस प्रकार के कार्यक्रमों में कुल दाखिला 74,226 था। वर्ष 1984-85 के दौरान, कालेज, छात्रावासों में छात्रों की कुल संख्या 4367 थी, जिसमें कुछ स्नातकोत्तर छात्र भी शामिल हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1982–85 की अवधि के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय तथा कालेजों को संस्वीकृत किए गए विकास अनुदानों के ब्यौरे नीचे दिएगए हैं :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	दिल्ली विश्वविद्यालय		दिल्ली के कालेज	
	दिया गया कुल अनुदान	छात्रावास के निर्माण के लिए अनुदान	दिया गया कुल अनुदान	छात्रावास के निर्माण के लिए अनुदान
1982–83	116.70	—	63.02	कुछ नहीं
1983–84	120.49	10.00	61.15	कुछ नहीं
1984–85	642.55	36.00	136.76	कुछ नहीं

Closure of Railway Lines in Assam

2050. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI L. GANESAN: '

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any railway line has been closed down in Assam sector;

(b) if so, what are the details thereof and what are the reasons for the same;

(c) whether Government contemplate to close down any more railway lines in Assam in the near future; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY ' OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा

2051. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा क्या है और नियुक्ति, पदोन्नति और सतर्कता आदि से संबंधित मामलों को निपटाने में कितना समय लगता है ;

(ख) क्या यह सच है कि बेहतर प्रशासन के लिए आयोग तथा प्राधिकरण में निदेशक (प्रशासन) का पद सृजित किया गया था तथा इस पद को प्रशासनिक सेवा के व्यक्तियों में से भरे जाने का भी प्रावधान किया गया था किन्तु फिर भी अब तक अधिकांश प्रशासनिक कार्य अभियंताओं द्वारा किया जा रहा है ; और

(ग) इन विभागों में बकाया कार्य कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) अपेक्षित सूचना विवरण में दी गई है ।

(ख) केन्द्रीय जल आयोग में निदेशक (प्रशासन) तथा सचिव का एक-एक पद है । यह पद कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के हैं । सचिव का पद केन्द्रीय जल इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के केडर का है तथा निदेशक प्रशासन का पद सीनियर स्टाफिंग स्कीम के अन्तर्गत भरा जाता है । आयोग के प्रशासनिक तथा समन्वय स्कन्ध का दिनु प्रतिदिन का कार्य सचिव, केन्द्रीय जल आयोग और निदेशक प्रशासन, केन्द्रीय जल आयोग की देखरेख में किया जाता है ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में इस समय निदेशक प्रशासन का कोई पद नहीं है । वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत प्राधिकरण का प्रशासनिक कार्य सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देखा जाता है । अब से कुछ समय पहले तक इस पद को केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) सेवा के अधिकारियों द्वारा भरा जाता था ; यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में इस पद पर नियुक्ति भारत सरकार की सीनियर स्टाफिंग स्कीम के अन्तर्गत की जाएगी ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य जल्दी और कुशलतापूर्वक निपटाया जाए, इसके लिए सघन प्रयास किए जाते हैं ।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग

केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन विकास के क्षेत्र में एक शीर्ष तकनीकी संस्था है जिसका अध्यक्ष चेयरमैन है । इस संगठन के चार महत्वपूर्ण स्कंध नामश: डिजाइन और अनुसंधान स्कंध, आयोजना और प्रगति स्कंध, जल संसाधन स्कंध और बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई स्कंध, है, प्रत्येक स्कंध का अलग-अलग सदस्य होता है । जो कि इसका अध्यक्ष होता है तथा इनमें निदेशालय/यूनिट शामिल हैं । आयोग में अलग से प्रशासनिक और समन्वय स्कंध भी हैं जो कि संगठन के लिए स्थापना और प्रशासनिक सेवाओं का कार्य करता है तथा आयोग के तकनीकी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित सूचना का समन्वय कार्य करता है । यह स्कंध सीधे ही अध्यक्ष, केन्द्रीय जल, आयोग की देख-रेख में कार्य करता है जिसकी प्रशासन संबंधी कुछ मामलों में सदस्यों द्वारा सहायता की जाती है । प्रशासनिक और समन्वय स्कंध का दिन प्रतिदिन का कार्य मध्य स्तर पर दो अधिकारियों अर्थात् सचिव, केंद्रीय जल आयोग और निदेशक (प्रशासन) केन्द्रीय जल आयोग की देख-रेख में किया जाता है ।

केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्थापना विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत की गई थी तथा इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष सहित सात पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति इसमें शामिल है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत विभाग के सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है । इस संगठन का कार्य छ: स्कंधों अर्थात् जल-विद्युत, ताप-विद्युत, विद्युत प्रणाली, आयोजना, प्रचालन एवं आर्थिक तथा वाणिज्यिक स्कंध में बांटा गया है ; प्रत्येक स्कंध का सदस्य ही अध्यक्ष होता है । संगठन की अपेक्षित सहायता करने के लिए एक प्रशासनिक और लेखा प्रभाग भी है सचिव, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सीधे ही अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधीन प्रशासनिक और लेखा प्रभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है ।

केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण दोनों में नियुक्ति,

पदोन्नति और सतर्कता आदि से संबंधित मामलों में प्रशासनिक अपेक्षाओं, निर्धारित प्रक्रियाएं और अनुदेशों का समुचित ध्यान रखते हुए समय पर कार्यवाही की जाती है ।

Assistance to voluntary organisations for promotion of Indian languages

2052. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the quantum of assistance to voluntary organisations 'or promotion of Indian languages has been declining since ' 1975; and

(b) the funds made available for development of each national language during the last three years?

THE MINISTER OF EDUCATION (SHRI K. C. PANT): (a) No, Sir.

(b) The expenditure incurred by the Ministry of Education during the last three years- in this respect is as under: —

(Rs. in lakhs)

	1982-83	1983-84	1984-85
Hindi	614·23	321·59	393·59
Sanskrit	254·25	306·58	346·04
Urdu	26·07	30·21	40·33
Sindhi	3·10	3·20	4·00
Other Modern Indian Languages	131·19	143·87	170·31

Ship Repairing Centre in. Private Sector

2053. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government propose to allow the privete sector to setup ship repairing centres in and around Calcutta and Haldia ports; and

(b) if so, what are the details of ihe proposal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI Z. R. ANSARI): (a) and (b) All Port Trusts including Calcutta and Haldia have been advised to encourage private investment in creation of ship repair, facilities such as floating dry docks. However, so far no specific proposal in this regard has been received with respect to Calcutta/Haldia Port.

Crash of IAF Planes

2054. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the MINISTER OF DEFENCE be pleased to state:

(a) ivhether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the Nav Bharat Times of 2nd June, 1985 to the effect that four Indian Air Force Planes crashed in May 1985;

(b) whether any sabotage has been suspected,

(e)i whether any inquiry into each accident has been "conducted; and

(d) if so, what has been the outcome thereof?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Yes. Sir. In fact, there were three accidents to IAF aircraft in May, 1985. In a fourth incident, a Chetak helicopter had to force land on 21st May, 1985. Both pilots and four journalists travelling as passengers